हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6) 10/2009–लेज दिन्नाक शिमला–2 25 मार्च 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25–03–2009 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए)

पृ0संख्या एल0एल0आर0–डी0(6) 10/2009–लेज दिन्नाक शिमला 25 मार्च, 2009

निम्नलिखित को एक एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को उक्त अध्यादेश की एक प्रति सहित । उनसे अनुरोध है कि वे अध्यादेश को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) के आज के अंक अर्थात (25–03–2009) में प्रकाशित करें। राजपत्र की 60 प्रतियां इस विभाग को भेजते हुए बीजक सहित तथा उनसे अनुरोध है कि वे राजपत्र की पांच पांच प्रतियां सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को भी भेजें।

2 प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को उक्त अध्यादेश की एक अधिप्रमाणित प्रति सहित । उनसे अनुरोध है कि वे इसकी पावती भेजें ।

3 सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–4 को उक्त अध्यादेश की एक अधिप्रमाणित प्रति सहित। उनसे अनुरोध है कि वे इसकी पावती भेजें ।

उप– विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश, 2009

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की बुराई के निवारण का उपबन्ध करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैः–

संक्षिप्त नाम। 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश, 2009 है।

परिभाषाएं। **2.** इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "शैक्षणिक संस्था" से, कोई भी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से सहबद्ध या इस द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, तकनीकी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, पॉलिटैक्निक या संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ;

(ख) "प्रभारी अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, छात्रावास का प्रमुख (हैड),

संकायाध्यक्ष, अध्यापन विभाग या संस्था का प्रमुख (हैड), महाविद्यालय का प्राधिकारी (अथॉरिटी), छात्रावास या केन्टीन का वार्डन अथवा प्रबन्धक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए), छात्र कल्याण अधिकारी या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष, शैक्षणिक संस्था का प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, वार्डन, प्रबन्धक या अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ग) "रैगिंग" से ऐसा कोई कार्य, आचरण या व्यवहार अभिप्रेत है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों, पूर्व छात्रों या बाहरी व्यक्तियों की प्रभुतापूर्ण शक्ति को, नए भर्ती (प्रविष्ट) किए गए छात्रों या उन छात्रों पर, जिन्हें अन्य छात्रों द्वारा किसी प्रकार से कनिष्ठ समझा जाता है, उपस्थापित किया जाए और इसके अन्तर्गत ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार हैं,–

(i) जिनमें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हमला या धमकी अथवा बल का प्रयोग या अनुचित परिरोध अथवा रोक (रोध) अन्तर्वलित हो; या

(ii) जो ऐसे छात्रों की प्रास्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों; या

(iii) जिनसे छात्रों का उपहास और तिरस्कार हो तथा जिनसे उनका स्वाभिमान प्रभावित होता हो; या

(iv) जिनमें मौखिक गाली और छेड़छाड़ (अग्रेशन), अशिष्ट इशारे और अश्लील व्यवहार का समावेश हो।

रैगिंग का प्रतिषेध।

3. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर या इसके बाहर किसी भी रूप में रैगिंग नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

कतिपय व्यक्तियों के, रैगिंग की घटनाओं की जांच पड़ताल और रिपोर्ट करने के कर्त्तव्य।

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी शैक्षणिक संस्था का प्रभारी अधिकारी है या जो, उसमें अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्था की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है या उससे पारिश्रमिक पाता है, रैगिंग की किसी भी घटना के होने पर तुरन्त कार्रवाई करने और विश्वविद्यालय की दशा में कुलपति या उस द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को या विश्वविद्यालय से भिन्न संस्था की दशा में शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) को उनकी पहचान, जो रैगिंग में लगे हों और घटना की प्रकृति की रिपोर्ट करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) रैगिंग की प्रत्येक घटना में, जहां पीड़ित या उसके माता–पिता या संरक्षक या शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड) कार्रवाई के लिए संस्था की व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं होता है, वहां संस्थागत प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास बिना अपवाद के प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जाएगी।

(3) संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने में विफलता या असावधानी या विमर्शित (जानबूझकर) विलम्ब को संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा सदोष असावधानी समझा जाएगा।

(4) यदि कोई पीड़ित या उसके माता–पिता या संरक्षक, पुलिस के पास सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करना चाहता है तो इससे संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने की अपेक्षा से मुक्त नहीं होगा।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 3 के अधीन अपराधों का

5. जो कोई भी शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड) या शैक्षणिक संस्था में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीधे तौर पर

दुष्प्रेरण।

या मुख्यतः, पर्यवेक्षण का प्रभारी कोई अधिकारी होने के नाते जानबूझकर जांच–पड़ताल नहीं करता है और रिपोर्ट नहीं करता है या धारा 3 के अधीन अपराध करने में मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजाए रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और शमनीय होना।

6. इस अध्यादेश के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा।

छात्र का निष्कासन।

7. (1) इस अध्यादेश के अधीन किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष छात्र को शैक्षणिक संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निष्कासित या रैगिंग के कारण अन्यथा निष्कासित छात्र को ऐसे निष्कासन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

छात्र का निलम्बन।

8. (1) जब कभी कोई भी छात्र या , यथास्थिति, माता–पिता या संरक्षक या किसी शैक्षणिक संस्था का अध्यापक या प्रभारी अधिकारी, लिखित में रैगिंग की शिकायत (परिवाद) शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) को करता है, तो उस शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड) पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिकायत प्राप्त होने के चौबीस घण्टों के भीतर इसकी जांच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया यह सही पाई जाती है तो दोषी पाए गए छात्र को निलम्बित करेगा।

(2) जहां शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) द्वारा जांच किए जाने पर यह साबित हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई सार नहीं है तो वह तथ्य को लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति।

9. राज्य सरकार लोक हित में, लिखित में आदेश द्वारा, उसमें कथित कारणों से शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसी संस्था द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधारण अनुदेश दे सकेगी और ऐसे अनुदेश के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) और हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4), जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का 14), चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008

(2009 का 2), ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3), राज्य में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम,1968 (1968 का 14), हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 14), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 25) में किसी बात के होते हुए भी, रैगिंग के प्रतिषेध और उसके लिए दण्ड से सम्बन्धित अध्यादेश, परिनियम, विनियम, नियम, उप विधियां बनाने और उनमें संशोधन ऐसे प्रारूप में और ऐसी अवधि के भीतर जैसी ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के निदेश भी हैं।

उपबन्धों का कतिपय नियमों के अल्पीकरण में न होना।

10. इस अध्यादेश के उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता,1860 (1860 का 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1970 (1970 का 17), हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4), जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का 14), चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2), ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3), राज्य में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 (1968 का 14), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 25) के अधीन विरचित परिनियमों के अल्पीकरण में नहीं, अपितु उनके अतिरिक्त होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

11. राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियमों और आदेशों का रखा जाना।

12. धारा 9 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 11 के अधीन बनाए गए नियम, जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा जाता है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा, यथास्थिति, उस नियम या

आदेश में कोई परिवर्तन करती है या यह विनिश्चय करती है कि नियम या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, नियम या आदेश तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, यथास्थिति, नियम या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(प्रभा राव)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(ए0सी0 डोगरा)
सचिव(विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
शिमलाः

तारीखः

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE No. 1 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PROHIBITION OF RAGGING) ORDINANCE, 2009

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for prevention of the evil practice of ragging in educational institutions in the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Ordinance, 2009.

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "educational institution" means any University, any College affiliated to or maintained by the University, any school imparting secondary education, any school, Polytechnic or institution imparting technical education and includes such other institutions as may be notified by the State Government in the Official Gazette;

(b) "Officer-in-Charge" means and includes person appointed as the Principal of College, Head of Hostel, Dean of Faculty, Head of Teaching Department or the institution, the authority of the College, Warden or Manager (by whatever name called) of Hostel or canteen, the Student Welfare Officer or the Librarian of the College and University Library, Principal, Headmaster, Warden, Manager or teacher of the educational institution;

(c) **"ragging" means any act, conduct or practice by which dominant power of senior students, former students or outsiders, is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior by other students and includes individual or collective acts or practices which--**

- **(i)** **involve physical or psychological assault or threat or use of force or wrongful confinement or restraint; or**
- **(ii)** **violate the status, dignity and honour of such students; or**
- **(iii)** **expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem; or**
- **(iv)** **entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.**

Prohibition of ragging.

3. (1) **No person shall practise ragging in any form, within or outside the premises of an educational institution.**

(2) **Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.**

Duties of certain persons to check and report incidents of ragging.

4. (1) **Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, every person who is the Officer-in-Charge of the educational institution or who is in the service or pay of or remunerated by the educational institution to do any work assigned to him in connection with the maintenance of discipline therein, shall be bound to take immediate action on the occurrence of any incident of ragging and to make report to the Vice Chancellor or to any other officer authorised by him, in case of the University, or the Head of the educational institution, in case of the institution other than the University, the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident;**

(2) **Every single incident of ragging where the victim or his parents or guardian or the Head of educational institution is not satisfied with the institutional arrangement for action, a First Information Report shall be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities.**

(3) **Any failure on the part of the institutional authority or negligence or deliberate delay in lodging the First Information Report with the local police shall be construed to be an act of culpable negligence on the part of the institutional authority.**

(4) **If any victim or his parent or guardian intends to file First Information Report directly with the police that**

shall not absolve the institutional authority from the requirement of filing the First Information Report.

(5) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or a fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Abetment of offences under section 3.

5. Whoever being a Head of educational institution or an officer, directly or primarily in-charge of supervision for the proper maintenance of discipline in the educational institution, knowingly omits to check and report or connives or abets the commission of the offence under section 3 shall be punished for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

Offences to be cognizable, non-bailable and compoundable.

6. Every offence under this Ordinance shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of the court.

Expulsion of student.

7. (1) Any student convicted of an offence under this Ordinance shall be expelled from the educational institution.

(2) Student expelled under sub-section (1) or expelled otherwise on account of ragging shall not be admitted in any other educational institution for a period of three years from the date of order of such expulsion.

Suspension of student.

8. (1) Whenever any student or, as the case may be, the parents or guardian or a teacher of an educational institution or an Officer-in-Charge makes a complaint, in writing, of ragging to the head of the educational institution, the head of that educational institution shall, without prejudice to the foregoing provisions, within twenty four hours of the receipt of the complaint, enquire into it and, if, prima facie, it is found true, suspend the student found guilty.

(2) Where, on enquiry by the head of the educational institution, it is proved that prima facie there is no substance in the complaint received under sub-section (1), he shall intimate the fact, in writing, to the complainant.

Power of the State Government to give directions.

9. **The State Government may, in public interest, by order in writing for reasons to be stated therein, give to the educational institutions general instructions to be followed by such institutions and such instructions may, notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh University Act, 1970 (17 of 1970) and the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1987), the Jaypee University of Information Technology Act, 2002 (14 of 2002), the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009), the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (3 of 2009), any University established by Law in the State in private and public sector, the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968), the Himachal Pradesh Board of Technical Education Act, 1986 (14 of 1986), the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006), include directions to make or amend any Ordinances, Statutes, regulations, rules, bye-laws relating to the prohibition of and the punishment for ragging, in such form and within such period as may be specified in such order.**

Provisions not to be derogatory to certain laws.

10. **The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and the statues framed under the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970), the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1987), the Jaypee University of Information Technology Act, 2002 (14 of 2002), the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009), the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (3 of 2009), any University established by Law in the State in private and public sector, the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968), the Himachal Pradesh Board of Technical Education Act, 1986 (14 of 1986), the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006).**

Power to make rules.

11. **The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.**

Laying of rules and orders.

12. Every order issued under section 9 and rules made under section 11 shall be laid, as soon as may be after it is issued or made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule, or as the case may be, in the order, or decides that the rule or the order, as the case may be, should not be issued or made, the rule or as the case may be, the order, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rules or as the case may be, under that order.

(PRABHA RAO)
Governor

(A.C. DOGRA)
Secretary (Law)

SHIMLA
The March, 2009